पंजाब केसरी
27 अप्रैल, 2010
मंगलवार

प्रसार भारती अधिनियम रद्द करने पर विचार

नई दिल्ली, (वार्ता): प्रसार भारती की पूंजीगत एवं वित्तीय पुनर्संरचना तथा उसके कामकाज के विभिन्न आयामों की जांच के लिए गठित नया मंत्रिसमूह प्रसार भारती अधिनियम रद्द करने की कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार कर रहा है।

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री सी.एम. जतुआ ने राज्यसभा को सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि प्रसार भारती कर्मियों के 21 सेवा संघों के प्रतिनिधि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ (एनएफएडीई) ने पिछले 12 वर्षों के अनुभव को प्रसार भारती की स्थापना के मूल आशयों एवं इसकी वित्तीय अक्षमताओं का प्रमाण बताते हुए प्रसार भारती अधिनियम 1990 रद्द करने की मांग की है।

हिन्दुस्तान
मंगलवार, 27 अप्रैल 2010 नई दिल्ली

प्रसार भारती अधिनियम रद्द करने पर विचार

नई दिल्ली। प्रसार भारती की पूंजीगत एवं वित्तीय पुनर्संरचना तथा उसके कामकाज के विभिन्न आयामों की जांच के लिए गठित नया मंत्रिसमूह प्रसार भारती अधिनियम रद्द करने की कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार कर रहा है।

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री सी.एम. जतुआ ने राज्यसभा को सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि प्रसार भारती कर्मियों के 21 सेवा संघों के प्रतिनिधि, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ (एनएफएडीई) ने पिछले 12 वर्षों के अनुभव को प्रसार भारती की स्थापना के मूल आशयों एवं इसकी वित्तीय अक्षमताओं का प्रमाण बताते हुए प्रसार भारती अधिनियम 1990 रद्द करने की मांग की है। जतुआ ने कहा कि गत 10 फरवरी को फिर से गठित मंत्रिसमूह की विचारार्थ कार्यसूची में एनएफएडीई की मांगें भी शामिल की गई है और मंत्रिसमूह गत 16 अप्रैल को अपनी पहली बैठक कर चुका है। (वार्ता)